

463/25

राजस्थान-सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नादौती जिला करौली

दिनांक 24/10/2025

ग्रामीण सेवा शिबिर

कैम्प काट

2025/520

रामदाम बनाम सरकाल

अन्तर्गत राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136

निर्णय दिनांक:- 24.10.25

पटवारी हल्का 57A भू अभिलेख निरीक्षक रादौती की रिपोर्ट एवं तहसीलदार नादौती की अभिशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत राजस्व राम 57A के खाता संख्या 393 में निम्नानुसार शुद्ध किये जाने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है:- किरा-01

क्र.सं.	राजस्व नाम	ग्राम का नाम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	अशुद्ध प्रविष्टि	भूके स्वतन्त्र प्रविष्टि	वि. विवरण
01							
02		<u>57A</u>	<u>393</u>	<u>667</u>	<u>बलाई</u>	<u>चौकट</u>	
03							
04							

[Signature]
उपखण्ड अधिकारी
नादौती

कैम्प कोर्ट

क्रमांक:-

दिनांक:-

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. तहसीलदार नादौती को निर्देशित किया जाता है कि स्वतन्त्रानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद कर पालना रिपोर्ट भिजवावें।
02. पटवारी, पटवार हल्का 57A।
03. प्रार्थी रामदाम।

[Signature]
उपखण्ड अधिकारी
नादौती

